पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/06/2022. एम्स. जेडीएच

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

में स्टाम्प, स्टाम्प रिफलिंग व लकड़ी की नेम प्लेट के कार्य हेतु

वार्षिक दर कोटेशन द्वारा आंमत्रण

पुछताछ संख्या	: प्रशासन/सामान्य/06/2022. एम्स. जेडीएच
पूछताछ जारी करने की तिथि	: 02 नवम्बर, 2022
जमा करने की अंतिम तिथि	: 09 नवम्बर 2022 अपराह्न 03.00 बजे ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

बासनी फेज –।। जोधपुर –342005, राजस्थान

टेलीफैक्स :0291–2740741, ईमेलः procurement@aiimsjodhpur

www.aiimsjodhpur.edu.in

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/06/2022. एम्स. जेडीएच

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

में स्टाम्प, स्टाम्प रिफलिंग व लकड़ी की नेम प्लेट के कार्य हेतु

वार्षिक दर कोटेशन द्वारा आंमत्रण

निदेशक, एम्स जोधपुर की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद वार्षिक दर के लिए कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिंग व लकड़ी की नेमप्लेट के कार्य के लिए नियम एंव शर्तो एम्स जोधपुर द्वारा निम्नलिखित रखी गई हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरे हूए वार्षिक दरें कोटेशन द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 09.11.2022 को अपराह्न 03.00 बजे या उससे पहले जमा हो जाने चाहिए। कोटेशन को उचित लिफाफें में सीलबंद कर उसके ऊपर निम्नानुसार लिखा जाए–" स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिंग, लकड़ी की नेम प्लेट के लिए वार्षिक दरों के लिए कोटेशन "

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/06/2022. एम्स. जेडीएच 09.11.2022 को अपराह्न 03.00 बजे

1. नियम और शर्तेः–

(क) निर्धारित सयम सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोटेशनों पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जायेगा चाहे परिस्थितियॉ कुछ भी रही हो। डाक या किसी भी प्रकार का विलंब के मामले में संस्थान जिम्मेंदार नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार के फैक्स /ईमेल पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(ख) कोटेशन फर्म के लेटर हेड पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में स्वामित्व/निदेशक हस्ताक्षरित होने चाहिए। सहभागी मामलों में निदेशक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोटेशन पर विधिवत हस्ताक्षर करने का प्रधिकरण पत्र होना चाहिए। पूर्णरूप से भरे हुए कोटेशन निर्धारित कोटेशन बॉक्स मे जो कि एम्स के प्रशासनिक कार्यालय में स्थित हैं वहा छोडा जाना अनिवार्य हैं।

(ग) स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट की दरों को भारतीय रूपये में कर सहित उद्धृत किया जाए तथा किसी भी प्रकार का निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त कोई कर हो तो अलग से लिखा जाए।

(घ) स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट की दरों को माल भाडा शुल्क, बीमा, स्थापना(स्टेशनरी स्टोर तक पहूँचाना) आदि सहित उद्धृत किया जाए।

(ड) स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट की दरों में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग या कॉट–छॉट(कटिंग) की अनुमति नहीं होगी। यदि पाया जाता हैं तो कोटेशन को रद्द कर दिया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का विचार नहीं होगा।

(च) स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट के कोटेशन, खोलने की तारीख से 60 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए। इस मुद्दें पर किसी भी निविदा के उद्दरण और चुप्पी को इसके साथ सहमति के रूप में माना जाएगा।

(छ) एल–1 बनना किसी भी आपूर्ति आदेश पाने का मानदंड नही होगा जब तक दरें वाजिब(रिजनेबल) तथा उचित(जस्टीफाइड) न हो।

(ज) आपूर्तिकर्ता/फर्म/एजेंसी को आटीजीएस/एनईएफटी का विवरण आपूर्तिकता के लेटर हेड पर उद्दरण के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक/अनिवार्य हैं।

(झ) फर्म/एजेंसी को निम्नलिखित शर्ते पूरा करने का स्व–सत्यापित प्रति उद्दरण के साथ संलग्न प्रस्तुत करना है–

:– फर्म/एजेंसी राजस्थान सरकार/भारत सरकार के साथ पंजीकृत होना।

:– फर्म/एजेंसी के पास वैध जीएसटी/अन्य कर और पैन कार्ड का होना ।

:– फर्म/एजेंसी को किसी भी सरकार ब्लैक लिस्टेड(अवैध) नहीं किया गया।

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/06/2022. एम्स. जेडीएच

(ञ) अस्पष्ट और अनिश्चित अभिव्यक्तियों द्वारा योग्य उद्दरण जैसे " पूर्व के अधीन" पुष्टिकरण" तत्काल स्वीकृति के अधीन" आदि को अस्पष्ट प्रस्तावों के रूप में माना जायेगा तथा कोटेशन को खारिज कर दिया जायेगा। किसी भी सशर्त को तुरन्त प्रभाव से खारिज कर दिया जायेगा।

(ट) स्टाम्प व स्टाम्प रिफलिग, लकड़ी की नेमप्लेट वस्तुओं की आपूर्ति प्रति आदेश के 7 दिन के अन्दर तथा आपूर्ति भण्डार कक्ष में करना अनिवार्य।

(ठ) परिसमापन क्षतिः– यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय में आपूर्ति करने में विफल रहता हैं तो प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत की दर से या आपूर्ति आदेश मुल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा।

(ड) भुगतान शर्तें :– संतोषजनक आपूर्ति के बाद एम्स जोधपुर द्वारा निरीक्षण करने के बाद भुगतान किया जायेगा।

(ढ) विवाद :– फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों और एम्स जोधपुर या एम्स का कोई विभाग के बीच किसी भी प्रकार का विवाद या शर्तों की व्याख्या के सबंध में असहमति उत्पन्न होने की स्थिति में जॉच निदेशक एम्स जोधपुर को संदर्भित की जाएगी। एम्स जोधपुर का निर्णय फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों के लिए बाध्यकारी होगा।

(ण) एम्स जोधपुर किसी भी उद्दरण या भाग या संपूर्ण आमंत्रण बिना कोई कारण बताए कोटेशन प्रक्रिया अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।

2. <u>नियम और शर्तें :–</u>

1. बोलीदाता को अनुबंध 1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का उद्दरण देना होगा।

2. आपूर्तिकर्ता को स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट के नमूनों को कोटेशन डालने के साथ प्रशासनिक खण्ड के तृतीय तल पर स्थित भण्डार कक्ष में जमा कराने होगे नमूनों के जमा नहीं कराने की स्थिति में कोटेशन को निरस्त माना जायेगा। तथा नमूनों के प्रदर्शन पर होने वाला खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

3. आपूर्तिकर्ता को केवल कार्य की दर प्रस्तुत करनी है। कार्य का निष्पादन संस्थान द्वारा आवश्कयता के अनुसार वर्ष में कभी भी करवाया जा सकता है। जिसमें आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य के निष्पादन हेतु संस्थान को बाध्य नहीं कर सकता ।

4. स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट बनाने के कार्य की दरे आपूर्तिकर्ता को कार्याआदेश जारी करने के 1 वर्ष के लिये लागू होगा। जिसमें समय–समय पर कार्य का निष्पादन करवाया जा सकेगा। कार्य की संख्या अनुमानित है जिसमें संस्थान द्वारा दिये गये कार्याआदेश को आपूर्तिकर्ता मानने को बाध्य रहेगा।

5. आपूर्तिकर्ता को यह भी सूनिशचित करना होगा कि उक्त दरों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा । जो दर प्रस्तुत की है उसमें वर्ष भर कार्य करने हेतु बाध्य रहेगा। तथा संस्थान द्वारा जब चाहे आपूर्ति आदेश को निरस्त कर सकता है। इसमें आपूर्तिकर्ता का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

6. नेमप्लेट केवल लकडी से बनी हुई होनी चाहिए। प्लाईवुड या किसी अन्य बोर्ड से बनी हुई नेमप्लेट स्वीकार्य नहीं होगी।

उप–निदेशक(प्रशासन)

संलग्नः– अनुलग्नः 1. विनिर्देश अनुबंध
2. मूल्य बोली का प्रारूप

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/06/2022. एम्स. जेडीएच

अनुलग्नः 1. विनिर्देश अनुबंध

क्र. सं.	सामान का विवरण	मापन ईकाई	मात्रा अनुमानित	विशेष विवरण
1	स्टाम्प	Nos.	150	Sun Stamper
2	स्टाम्प रिफलिंग	Nos	50	
3	लकड़ी की नेम प्लेट	Nos	50	As per Sample

नोटः— आपूर्तिकर्ता को स्टाम्प व स्टाम्प रिफलिंग, लकड़ी की नेमप्लेट के नमूनों को प्रशासनिक खण्ड के तृतीय तल पर स्थित भण्डार कक्ष में जमा कराने होगे हैं। प्रदर्शन पर होने वाला खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। उपररोक्त मात्रा अनुमानित हैं जिसमें संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता हैं।

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/06/2022. एम्स. जेडीएच

फर्म के लेटर हेड पर

अनुलग्नः 2
मूल्य बोली प्रपत्र

सेवामें,

श्री मान उप–निदेशक (प्रशासन)

एम्स जोधपुर।

मान्यवर जी,

1. मैने/हमने.................................... स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट वस्तुओं के लिए कोटेशन का आंमत्रण के लिए उद्दरण प्रस्तुत किया। पूछताछ संख्या स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट वस्तुओं के लिए कोटेशन का आंमत्रण प्रशासन /सामान्य/06/2022.एम्स.जेडीएच जमा करने की अंतिम तिथि 09 नवम्बर 2022 अपराह्न 03.00 बजे प्रस्तुत किया।

2. मैने/हमनें स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट वस्तुओं के लिए कोटेशन का आंमत्रण के नियमों और शर्तों की पूरी जांच करके समझा/स्वीकार कर लिया हैं तथा दस्तावेजों के अभाव में मेरा उद्दरण अस्वीकार कर दिया जाए।

3. मैं/हमारे द्वारा निम्नलिखित दरों पर आपूर्ति करने की पेशकश करते हैं।

क्र. सं.	सामान का विवरण	मापन की ईकाई	मात्रा	दर बिना जीएसटी	जीएसटी कर	अन्य कर	जीएसटी सहित दर	कुल राशि	एमआरपी
1	Stamp F type 22*50 mm	pcs	01						
2	Stamp A type 23*63 mm	pcs	01						
3	Stamp E type 12*45 mm	pcs	01						
4	Stamp X type 32*67mm	pcs	01						
5	Stamp B type 17*59mm	pcs	01						
6	Stamp H type 23*74mm	pcs	01						
7	Stamp V type 48*78mm	pcs	01						
8	Stamp T type 60*90mm	pcs	01						
9	Stamp PSA 20*60mm	pcs	01						
10	Stamp C type 16*32mm	pcs	01						
11	Stamp Y type 33*52 mm	pcs	01						
12	Stamp S type 50*50 mm	pcs	01						
13	Stamp J type 20*20 mm	pcs	01						
14	Stamp R type 30*30 mm	pcs	01						
15	Stamp K type 15*15 mm	pcs	01						
16	Stamp PSR 30*30 mm	pcs	01						
17	Stamp PSQ 40*40mm	pcs	01						
18	Stamp Q type 40*40 mm	pcs	01						
19	Stamp Refilling	pcs	01						
20	Wooden Name Plate	No	01						

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/06/2022. एम्स. जेडीएच

नोटः– बोलीदाता को फर्म के पत्र पर उपरोक्त प्रारूप में की अपना कोटेशन उद्धृत करना हैं अन्यथा कोटेशन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बोलीदाता को उक्त स्टाम्पों की दरें क्र.स सख्ंया 01 से 18 तक तथा अंकित साईजों की रिफलिग की दरें क्र.स सख्ंया 19 प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित रहे कि उक्त 18 तरह की स्टाम्पों में से किसी भी प्रकार की स्टाम्प की आपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है। और किसी कारणवंश वर्ष भर आपूर्ति आदेश नहीं देना भी संस्थान के पक्ष में रहेगा। बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार आपूर्ति हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।

यह है कि बोली दाता उक्त तीनों कार्य स्टाम्प बनाने व रिफलिग करने व नेमप्लेट आदि का कार्य की दर वर्ष भर के लिये प्रस्तुत करनी है जो कि आपूर्ति हेतु आदेश जारी होने के 1 वर्ष तक लागू रहेगी। एवम संस्थान द्वारा समय से पूर्व निरस्त करा जा सकता है। जिसमें आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो।

दिनांक.......................................नाम.......................................

स्थान..

फर्म/एजेंसी का नाम...

जीएसटीआईएन नंबर...

बैंक का नाम...

बैंक खाता नम्बर...

आईएफएससी कोड..

शाखा का नाम...

फोन नंबर..

ईमेल..

(अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

सील(स्टाम्प)............................